आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की आहूत विशेष बैठक दिनांक 13.04.2023 की कार्यवाही :–

- **उपस्थिति :–**

1. श्री गोपाल मीणा, आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री वरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

सर्वप्रथम आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित वाहन स्वामियों एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही–(01) बसों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत आवेदन पर विचारः–

श्री मनोज कुमार यादव, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 27.03.2023 को आवेदन दिया गया कि 15 वर्षों से अधिक पुरानी बसों का परिचालन प्रतिदिन 400 कि0मी0 से अधिक कराया जा रहा है। कुछ वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है परन्तु वाहन स्वामी द्वारा अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए परमिट को रखे हुए हैं। वे चाहते हैं कि इस मार्ग पर किसी अन्य वाहन का परिचालन नहीं हो। परमिट प्राप्त कर वाहन को विद्यालय में परिचालन करा रहे है।

श्री यादव से प्राप्त शिकायत की जाँच इस कार्यालय के पत्रांक 221 दिनांक 27.03.2023 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी से कराया गया एवं इस कार्यालय के पत्रांक 220 दिनांक 27.03.2023 द्वारा आवेदन में अंकित शिकायतों पर संबंधित वाहन स्वामी से दिनांक 29.03.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर वस्तु–स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु वे उपस्थित नहीं हो सके। आवेदन में कुल 11 वाहन अंकित हैं। वाहन स्वामियों द्वारा दिनांक 31.03.2023 को उपस्थित होकर लिखित पक्ष से कार्यालय को अवगत कराया गया। सभी वाहन स्वामियों के आवेदन में एक ही तरह का उत्तर अंकित है जो इस प्रकार है **"वाहन परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चलान संलग्न है। नई वाहन की क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।"** इससे स्पष्ट हो रहा है कि सभी आवेदन एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। आरोप/शिकायत पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1204 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:–

क्र0सं0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार (बैठान क्षमता के साथ)	टैक्स	फिटनेश
1	BR06P-4138	बस–33 सीट	14-06-2023	16-03-2023
2	BR06P-4144	बस–33 सीट	14-03-2023	20-03-2023
3	BR06P-3561	बस–25 सीट	31-05-2023	10-01-2023
4	BR06P-3563	बस–25 सीट	31-05-2023	23-03-2023
5	BR06P-4884	बस–41 सीट	17-04-2023	15-03-2023
6	BR06P-6127	बस–41 सीट	24-04-2023	15-03-2023

सभी वाहन का दुरुस्ती प्रमाण–पत्र फेल है एवं दुरुस्ती प्रमाण–पत्र नवीकरण हेतु शुल्क जमा नहीं है। साथ ही वाहन स्वामियों द्वारा वाहन परिचालन के संबंध में दूरभाष

पर सम्पर्क करने पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया एवं परिचालन संबंधी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 104 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि:–

क्र0सं0	वाहन संख्या	फिटनेश	टैक्स	वाहन के वर्तमान परिचालन की स्थिति
1	BR06P-3561	10-01-2023	31-05-2023	विद्यालय में परिचालित।
2	BR30B-3451	09-01-2023	27-05-2023	विद्यालय में परिचालित।
3	BR30B-3551	16-01-2023	27-05-2023	विद्यालय में परिचालित।

श्री यादव से प्राप्त शिकायत आवेदन, वाहन स्वामियों से प्राप्त जवाब एवं जिला परिवहन पदाधिकारी/सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदन में उल्लिखित वाहनों की सूची (10 पन्नों में) निर्णय के साथ संलग्न है।

पूर्व के बैठक दिनांक 31.03.2023 के कार्यवाही के क्रमांक 5, 7 एवं 8 पर अंकित आवेदनों पर प्राधिकार द्वारा विचार किया गया। क्रमांक 5 पर अंकित आवेदन में मार्ग भिन्न रहने के कारण स्वीकृत तथा क्रमांक 7 एवं 8 को खजुरिया से अरेराज की बीच की दूरी 24 कि0मी0 जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित करने के कारण आवेदन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकार द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सभी बसों का टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदुषण एवं परमिट की जाँच करना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी बस बिना परमिट एवं अद्यतन कागजात के परिचालित न हो सके।

इस प्राधिकार के सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने–अपने वाहन का यदि टैक्स, फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण अद्यतन नहीं है तो एक सप्ताह के अन्दर अद्यतन करा लिया जाए। एक सप्ताह के बाद बिना अद्यतन स्थिति में वाहन परिचालित करने पर जुर्माना के साथ–साथ नियमानुसार परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा।

अन्त में स–धन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

13/4/23

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

13/04/2023

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक 280 /मुजफ्फरपुर, दिनांक 13/04/23

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल/सभी मोटरयान निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) – सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी / वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर / सभी पुलिस अधिक्षक, तिरहुत प्रमण्डल अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने–अपने जिला अन्तर्गत वैध परमिट वाले बसों का ही परिचालन कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	वाहन की आयु	परमिट संख्या	मान्य कागजात	परिचालित दूरी	वाहन स्वामी का जवाव	जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन	अभियुक्ति	निर्णय
1	श्री राम एकबाल राय	BR06P-4138	15Y-3M	315/2013 Validity-05-07-2023	1. Regi-15-12-2007 2. Tax-14-06-2023 3. CF-16-03-2023 (F) 4. Ins-15-03-2024 5. Puc-29-09-2023	सोनकी से मुजफ्फरपुर–125 कि0मी0। यात्रा–दो ट्रीप।	वाहन संख्या BR06P4138 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1204 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR06P-4138 का फिटनेश दिनांक 16.03.2023 तक बैध था। फिटनेश नवीकरण हेतु शुल्क भी जमा नही है। वाहन स्वामी से परिचालन के संबंध में दूरभाष पर संपर्क करने पर वाहन उपलब्ध नही कराया गया एवं परिचान संबंधित संतोषप्रद जवाब नही दिया गया।	यह बस 15 वर्ष 3 माह पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 500 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। साथ ही इस वाहन का फिटनेश भी फेल है। नोटिस देते समय टैक्स, फिटनेस एव प्रदूषण फेल था। वर्तमान में टैक्स एवं प्रदूषण अद्यतन है।	वाहन संख्या BR06P-4138 का एक ट्रीप की दूरी 125 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या 315/2013 रद्द किया जाता है** एवं 12000=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

2	श्री आलोक कुमार	BR06P-4144	15Y-3M	316/2013 Validity-05-07-2023	1. Regi-15-12-2007 2.Tax-14-03-2023 (F) 3. CF-20-03-2023 (F) 4. Ins-17-12-2021 (F) 5.Puc-09-09-2022 (F)	सोनकी से मुजफ्फरपुर– 125 कि0मी0। यात्रा–दो ट्रीप।	वाहन संख्या BR06P4144 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1204 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR06P-4144 का टैक्स दिनांक 14. 03.2023 एवं फिटनेश दिनांक 20. 03.2023 तक बैध था। फिटनेश नवीकरण हेतु शुल्क भी जमा नही है। वाहन स्वामी से परिचालन के संबंध में दूरभाष पर संपर्क करने पर वाहन उपलब्ध नही कराया गया एवं परिचान संबंधित संतोषप्रद जवाब नही दिया गया।	यह बस 15 वर्ष 3 माह पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 500 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। साथ ही इस वाहन का टैक्स, फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण भी फेल है।	वाहन संख्या BR06P-4144 का एक ट्रीप की दूरी 125 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या 316/2013 रद्द किया जाता है** एवं 22000=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

3	श्री चन्द्र किशोर मिश्रा	BR06P-3561 (दिनांक 12.04. 2023 को परमिट प्रत्यार्पित कर दिया गया है।)	15Y-6M	BR2020-SC-0301A Validity-13-03-2025	1. Regi-01-09-2007 2. Tax-31-05-2023 3. CF-10-01-2023 (F) 4. Ins-08-04-2024 5. Puc-29-09-2023	पुपरी से मुजफ्फरपुर– 115 कि0मी0। यात्रा–छः ट्रीप।	वाहन संख्या BR06P3561 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 478 दिनांक 28.03. 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR06P-3561 का फिटनेश दिनांक 10.01.2023 तक बैध था एवं इस वाहन का परिचालन विद्यालय में हो रही है।	यह बस 15 वर्ष 6 माह पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 690 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। इस वाहन का परमिट स्टेज कैरेज में लिया गया है जबकि परिचालन विद्यालय में हो रही है जो नियमानुकुल नही है।	वाहन संख्या BR06P-3561 का एक ट्रीप की दूरी 115 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या BR2020-SC-0301A रद्द किया जाता है** एवं 10000=00. रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

4	श्री आलोक कुमार	BR06P-3563	15Y-7M	451/2010 Validity-20-05-2025	1. Regi-01-09-2007 2. Tax-31-05-2023 3. CF-23-03-2023 (F) 4. Ins-26-07-2023 5. Puc-17-07-2023	महिसौल से चाँदनी चौक– 113 कि0मी0। यात्रा–तीन ट्रीप।	वाहन संख्या BR06P3563 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1204 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR06P-3563 का फिटनेश दिनांक 20.03.2023 तक बैध था। फिटनेश नवीकरण हेतु शुल्क भी जमा नही है। वाहन स्वामी से परिचालन के संबंध में दूरभाष पर संपर्क करने पर वाहन उपलब्ध नही कराया गया एवं परिचान संबंधित संतोषप्रद जवाब नही दिया गया।	यह बस 15 वर्ष 7 माह पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 339 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। साथ ही इस वाहन का फिटनेश भी फेल है।	वाहन संख्या BR06P-3563 का एक ट्रीप की दूरी 113 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या 451/2010 रद्द किया जाता है** एवं 10000=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

5	श्री चन्द्र किशोर मिश्रा	BR30B-3451	16Y	BR2021-SC-0688A Validity-24-3-2026	1. Regi-30-03-2007 2. Tax-27-05-2023 3. CF-09-01-2023 (F) 4. Ins-26-02-2022 (F) 5.Puc-05-07-2022 (F)	मुजफ्फरपुर से पुपरी– 115 कि0मी0। यात्रा–तीन ट्रीप।	वाहन संख्या BR30B3451 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 478 दिनांक 28.03. 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR30B-3451 का फिटनेश दिनांक 09.01.2023 तक बैध था एवं इस वाहन का परिचालन विद्यालय में हो रही है।	यह बस 16 वर्ष पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 345 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। इस वाहन का परमिट स्टेज कैरेज में लिया गया है जबकि परिचालन विद्यालय में हो रही है जो नियमानुकुल नही है। साथ ही इस वाहन का फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण फेल है।	वाहन संख्या BR30B-3451 का एक ट्रीप की दूरी 115 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या BR2021-SC-0688A रद्द किया जाता है।** सारे कागजात अद्यतन करा लेने के कारण हैण्ड हेल्ड डिवाईस द्वारा जुर्माना नहीं हो पा रहा है। अत: है नोटिस किया गया [illegible]

6	श्री चन्द्र किशोर मिश्रा	BR30B-3551 (दिनांक 12.04. 2023 को परमिट प्रत्यार्पित कर दिया गया है।)	16Y	BR2020-SC-0300A Validity-13-03-2025	1. Regi-30-03-2007 2. Tax-27-05-2023 3. CF-16-01-2023 (F) 4. Ins-18-03-2024 5.Puc-29-09-2023	पुपरी से मुजफ्फरपुर–115 कि0मी0। यात्रा–छः ट्रीप।	वाहन संख्या BR30B3551 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 478 दिनांक 28.03. 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR30B-3551 का फिटनेश दिनांक 16. 01.2023 तक बैध था एवं इस वाहन का परिचालन विद्यालय में हो रही है।	यह बस 16 वर्ष पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 690 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। इस वाहन का परमिट स्टेज कैरेज में लिया गया है जबकि परिचालन परिचालन विद्यालय में हो रही है जो नियमानुकुल नही है। साथ ही इस वाहन का फिटनेश फेल है।	वाहन संख्या BR30B-3551 का एक ट्रीप की दूरी 115 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या BR2020-SC-0300A रद्द किया जाता है** एवं 12000=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

7	श्री आलोक कुमार	BR30B-4151	15Y-10M	452/2009 Validity-24-09-2024	1. Regi-11-05-2007 2. Tax-24-04-2023 3. CF-16-01-2023 (F) 4. Ins-22-06-2020 (F) 5.Puc-05-07-2022 (F)	खंगुरा से मुजफ्फरपुर– 134 कि0मी0। यात्रा–दो ट्रीप।	वाहन संख्या BR30B4151 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।	यह बस 15 वर्ष 10 माह पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 268 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। साथ ही इस वाहन का फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण भी फेल है।	वाहन संख्या BR30B-4151 का एक ट्रीप की दूरी 134 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या 452/2009 रद्द किया जाता है** एवं 12000=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

8	श्री धर्मेन्द्र कुमार	BR1P-9318 (दिनांक 12.04. 2023 को परमिट प्रत्यार्पित कर दिया गया है।)	22Y-10M	206/2019 Validity-17-04-2024	1. Regi-23-05-2000 2.Tax-22-05-2021 (F) 3. CF-22-05-2020 (F) 4. Ins-25-03-2022 (F) 5.Puc-23-09-2021 (F)	मधवापुर से मुजफ्फरपुर–159 कि0मी0। यात्रा–एक ट्रीप।	यह वाहन 22 वर्ष 10 माह पुरानी है। इस वाहन का टैक्स, फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण भी फेल है।	वाहन संख्या BR1P-9318 का एक ट्रीप की दूरी 159 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या 206/2019 रद्द किया जाता है** एवं 22000=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

9	श्री आलोक कुमार	BR1P-6218 (दिनांक 12.04. 2023 को परमिट प्रत्यार्पित कर दिया गया है।)	23Y-5M	परमिट नहीं है एवं R.C. cancel है।	1. Regi-30-09-1999 2.Tax-29-12-2022 (F) 3. CF-------- 4. Ins-06-07-2023 5.Puc--------		यह वाहन 23 वर्ष 5 माह पुरानी है। इस वाहन पर कोई परमिट नहीं है। साथ ही इस वाहन का निबंधन (आर0सी0) भी रद्द है।	वाहन संख्या BR1P-6218 का निबंधन रद्द है। इसे जि0परि0पदा0, पटना को सूचित किया जाना है एवं 65200=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

10	श्रीमती माला सिन्हा	BR06P-4884 (दिनांक 12.04. 2023 को परमिट प्रत्यार्पित कर दिया गया है।)	14Y-11M	451/2009 Validity-24-09-2024	1. Regi-18-04-2008 2.Tax-17-04-2023 3. CF-15-03-2023 (F) 4. Ins-27-12-2021 (F) 5.Puc-09-09-2022 (F)	मधवापुर से मुजफ्फरपुर–159 कि0मी0। यात्रा–दो ट्रीप।	वाहन संख्या BR06P4884 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1204 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR06P-4884 का फिटनेश दिनांक 15.03.2023 तक बैध था। फिटनेश नवीकरण हेतु शुल्क भी जमा नही है। वाहन स्वामी से परिचालन के संबंध में दूरभाष पर संपर्क करने पर वाहन उपलब्ध नही कराया गया एवं परिचान संबंधित संतोषप्रद जवाब नही दिया गया।	यह बस लगभग 15 वर्ष पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 100 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 318 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। साथ ही इस वाहन का फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण भी फेल है।	वाहन संख्या BR06P-4884 का एक ट्रीप की दूरी 159 कि0मी0 है। जबकि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इसका परिचालन मात्र 100 कि0मी0 तक ही नियमानुकुल है। इससे एक भी ट्रीप संभव नहीं है। उक्त के आलोक में **इस वाहन की परमिट संख्या 451/2009 रद्द किया जाता है** एवं 22000=00 रूपये जुर्माना भी लगाया जाता है।

11	श्रीमती रत्न माला देवी	BR06P-6127 (दिनांक 12.04. 2023 को परमिट प्रत्यार्पित कर दिया गया है।)	14Y-5M	87/2013 Validity-01-03-2023	1. Regi-15-10-2008 2.Tax-24-04-2023 3. CF-15-03-2023 (F) 4. Ins-17-02-2021 (F) 5.Puc-09-09-2022 (F)	सोनकी से मुजफ्फरपुर–125 कि०मी०। यात्रा–दो ट्रीप।	वाहन संख्या BR06P6127 परमिट से आवृत है। फिटनेश कराने की प्रक्रिया जारी है। चालान संलग्न है।नई वाहन क्रय की प्रक्रिया जारी है। एक माह का समय दिया जाए ताकि परमिट को उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लेंगे।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1204 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन संख्या BR06P-6127 का फिटनेश दिनांक 15.03.2023 तक बैध था। फिटनेश नवीकरण हेतु शुल्क भी जमा नही है। वाहन स्वामी से परिचालन के संबंध में दूरभाष पर संपर्क करने पर वाहन उपलब्ध नही कराया गया एवं परिचान संबंधित संतोषप्रद जवाब नही दिया गया।	यह बस 14 वर्ष 5 माह पुरानी है, नियमानुंसार इसका परिचालन 400 किमी तक ही होना चाहिए परन्तु यह परमिट के अनुसार 250 किमी परिचालित हो रही है, जो नियम संगत नही है। साथ ही इस वाहन का फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण भी फेल है।	वाहन संख्या BR06P-6127 का एक ट्रीप की दूरी 125 कि०मी० है। यह 14 वर्ष 5 माह पुरानी है। इसका परिचालन मात्र 7 माह तक 400 कि०मी० तक ही नियमानुकुल है। परमिट धारक द्वारा परमिट संख्या 87/2013 प्रत्यार्पित कर दिया गया है। कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण 22000=00 रूपये जुर्माना लगाया जाता है।

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	निबंधन/ सेल लेटर की तिथि	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	वैधता	अभ्युक्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन एवं कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरणी	निर्णय
5	श्री वरूण प्रकाश पाण्डेय, पिता–अजय कुमार, पता–ग्रा – पो0, श्यामपुर, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण।	9000/ BR06PF-3198 SC-45 (Seater)	2021	07-03-2022	मार्ग संख्या–4783 डाउन रक्सौल, से मोतिहारी, भाया–रमगढवा, । प्रतिदिन छ खेप जाना आना। डाउन रक्सौल प्र0–04.09 08.12 11.03 13.31 15.43 18.31 मोतिहारी, प्र0–06.21 09.54 12.31 14.31 17.14 19.43	शपथ पत्र नोटरी के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्रात है।	**Tax-26-05-2023 C F-06-03-2024 INS-27-02-24 PUC-05-03-2024**	कार्यालय अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि मुख्य बिन्दु रक्सौल में 08:15 बजे वाहन सं0 BR06PD9293 का परमिट सं0 734/2019 सहोदरी देवी के नाम से निर्गत है। जिसकी बैद्यता 12.09.2024 तक है। वाहन संख्या BR06PD9293 का फिटनेश 02.01.2023 तक ही बैद्य था। इसे अद्यतन कराने हेतु नोटिस निर्गत का निदेश। मार्ग सत्यापित करने के पश्चात् आवेदन पर विचार किया जाएगा। उक्त आदेश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 249 दिनांक 08.04.2023 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी को मार्ग सप्यापित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी के पत्रांक 63 दिनांक 08.04.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित वाहन BR06PF-3198 एवं BR06PD-9293 का मार्ग भिन्न है।	(1) BUS N0-BR06PD9293 REG-01-09-2018 TAX-31-05-2023 CF-12-01-2023 INS-11-10-2023 PUC-18-08-2023	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन में दोनों वाहन का मार्ग भिन्न होने के आधार पर परमिट हेतु **आवेदन स्वीकृत।**

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	निबंधन/ सेल लेटर की तिथि	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	वैधता	अभ्युक्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन एवं कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरणी	निर्णय
7	श्री मनोज कुमार, पिता –चन्द्र भूषण सिह पता–ग्राम पहाडपुर, जिला–पूर्वी चम्पारण।	9000/ BR05PA-7071 SC-48 (Seater)	2015	31-08-2015	मार्ग संख्या–2218–डाउन सिवान से मंगलपुर भाया–गोपालगंज, महम्मदपुर खजुरिया अरेराज बेतिया,। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। डाउन सिवान प्र0–03.47 13.07, मंगलपुर प्र0–08.45, 16.48	शपथ पत्र नोटरी के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1. –**आपत्तिकर्ता**–उमाकान्त कुमार सिंह परमिट सं0–BR2022-SC-1389 A (आवृत वाहन सं0–BR05PA-2260 मार्ग–सिवान से मोतिहारी। निवेदन पुर्वक कहना है । उपरोक्त वाहन का प्रकासित समय सारनी मेंरे दो मिनट आगे कराया है। एंव जबकि पांच मिनट चाहिए एंव इनकें कइ गाडी टैक्स डिफोलटर है। जो जांच का विसय है। नियम के अनुसार टैक्स डिफोलटर होने पर स्थायी परमिट निर्गत करना नियम का विरूध है। इनके द्वारा कागज गलत पेस किया गया है। यह जांच का विषय है। दर्शया गया हैं स्पीड लिमिटेशन का उल्लघन कर रहा है।	**Tax-24-03-2023 C F-10-05-2024 INS-29-04-2023 PUC-24-01-2024**	प्राधिकार की बैठक दिनांक 31.03.2023 के कार्यवाही के क्रमांक 7 पर अंकित वाहन संख्या BR05PA-7071 का परमिट हेतु आवेदन खजुरिया से अरेराज की बीच की दूरी आवेदन में अंकित दूरी से अधिक रहने के कारण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। श्री मनोज कुमार, आवेदक के लिखित अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्रांक 251 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से उक्त दूरी की जाँच कराई गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 62 दिनांक 08.04.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खजुरिया से अरेराज की बीच की दूरी 24 कि0मी0 है। आपत्तिकर्ता के वाहन का मार्ग संख्या 2199 है जबकि आवेदक का मार्ग संख्या 2218 डाउन है।	(1) BUS N0-BR05PA2260 REG-14-11-2014 TAX-13-05-2023 CF-06-02-2024 INS-05-11-2023 PUC-26-08-2023	**जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग भिन्न होने के आधार पर आवेदन स्वीकृत।**

8	श्री मनोज कुमार, पिता –चन्द्र भूषण सिंह पता–ग्राम पहाडपुर, जिला–पूर्वी चम्पारण।	9000/ BR05PA-2207 SC-35 (Seater)	2014	20-10-2014	मार्ग संख्या–2218– डाउन सिवान से मंगलपुर भाया– गोपालगंज, महम्मदपुर खजुरिया अरेराज बेतिया,। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। डाउन सिवान, प्र0–03.25, 14.15 मंगलपुर, प्र0–08.19. 18.13,	शपथ पत्र नोटरी के वाहन परमिट से आवृत है। 1.–**आपत्तिकर्ता**–शशिकान्त तिवारी परमिट सं0–BR2023-SC-0689A (आवृत वाहन सं0–BR06PF-2497 मार्ग–सिवान से मोतिहारी। निवेदन पुर्वक कहना है । उपरोक्त वाहन का प्रकासित समय सारनी मेंरे आगे आगे है। एंव इनकें कइ गाडी टैक्स डिफोलटर है। जो जांच का विसय है। जैसे BR06PD6871 एंव BR22P7071 ऐसे कई वाहन टैक्स डिफोलटर है। नियम के अनुसार टैक्स डिफोलटर होने पर स्थायी परमिट निर्गत करना नियम का विरूध है। इनके द्वारा प्रकाशन मे गलत की0 मी0 दरसाकर प्रकाशन कराया गया है। दुरी गलत पेस किया गया है। यह जांच का विषय है। खजुरिया से अरेराज का 22 की0 मी0 दर्शया गया हैं जो 33 की0 मी0 स्पीड लिमिटसन का उल्लघन कर रहा है।	**Tax-19-04-2023 C F-25-04-2024 INS-13-11-2023 PUC-15-11-2023**	प्राधिकार की बैठक दिनांक 31.03.2023 के कार्यवाही के क्रमांक 8 पर अंकित वाहन संख्या BR05PA-2207 का परमिट हेतु आवेदन खजुरिया से अरेराज की बीच की दूरी आवेदन में अंकित दूरी से अधिक रहने के कारण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। श्री मनोज कुमार, आवेदक के लिखित अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्रांक 251 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से उक्त दूरी की जाँच कराई गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 62 दिनांक 08.04.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खजुरिया से अरेराज की बीच की दूरी 24 कि0मी0 है।	(1) BUS N0-BR06PF2497 REG-17-11-2021 TAX-01-05-2023 **CF-NA** INS-01-11-2023 PUC-30-12-2023 (2) BUS N0-BR06PD6871 REG-28-02-2018 TAX-26-05-2023 CF-11-06-2024 INS-29-05-2023 PUC-26-01-2024 (3) BUS N0-BR06P7071 REG-21-05-2023 TAX-12-06-2023 CF-26-05-2023 INS-29-04-2023 PUC-07-12-2023	**जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदन स्वीकृत।**

13/04/2023

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

13/04/2023

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।